कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर

प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक- 28.07.2026

थाना थरियांव पुलिस द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी अभिलेख तैयार कर विभिन्न अभियोगों में फर्जी जमानत कराने वाले शातिर/हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

गिरफ्तारी का विवरण:- पुलिस अधीक्षक फतेहपुर श्री अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में जनपद में अपराध, अपराधियों एवं **अभियोगों में फर्जी और पेशेवर जमानतदारों के विरुद्ध** चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी थरियांव के कुशल नेतृत्व में दिनांक- 28.07.2026 को थाना थरियांव पुलिस द्वारा क्षेत्र में गश्त व संदिग्धों/अभियुक्तों के सत्यापन हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान मुखबिर खास एवं आम जनमानस से सूचना प्राप्त हुई कि थाना थरियांव का मजारिया/हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त सतीश चन्द्र उर्फ सतीश लोधी पुत्र जगतपाल निवासी ग्राम हसवा, थाना थरियांव, फतेहपुर कचहरी में मुंशीगिरी का कार्य करता है तथा अवैध आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से अपराधियों से मिलीभगत कर एक ही अचल संपत्ति व आधार कार्ड का बार-बार प्रयोग करके फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार करता है। अभियुक्त द्वारा इन्हीं कूटरचित प्रपत्रों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर कई गंभीर अपराधों के अभियुक्तों की फर्जी जमानत कराई जाती है, जिससे कई अभियुक्त जमानत मिलने के बाद फरार हो जाते हैं और न्यायिक प्रक्रिया बाधित होती है। मुखबिर की सटीक सूचना पर ग्राम हसवा में दबिश देकर अभियुक्त सतीश चन्द्र उर्फ सतीश लोधी को हिरासत में लिया गया एवं जमानत अभिलेखों के सत्यापन के दौरान जनपद के विभिन्न थानों से संबंधित लगभग 08 मुकदमों में एक ही खतौनी व कूटरचित अभिलेखों का प्रयोग कर फर्जी जमानत कराया जाना सही पाया गया, अभियुक्त की जामा तलाशी लेने पर उसके पास से विभिन्न अभियोगों से संबंधित फर्जी जमानत प्रपत्रों की छायाप्रतियां तथा एक ही खतौनी व आधार कार्ड की प्रतियों के विभिन्न मुकदमों में उपयोग किए जाने संबंधी कूटरचित अभिलेख बरामद हुए जिसके आधार पर थाना थरियांव पर मु0अ0सं0 189/2026 धारा 316/318(2)/227/323/338 बीएनएस पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पूछताछ का विवरणः- पूछताछ के दौरान अभियुक्त सतीश चन्द्र उर्फ सतीश लोधी ने बताया कि वह कचहरी में मुंशीगिरी का कार्य करता है। आर्थिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से वह विभिन्न आपराधिक मामलों में अभियुक्तों की जमानत कराने हेतु एक ही अचल संपत्ति (खतौनी) एवं आधार कार्ड की प्रतियों का बार-बार उपयोग करता था। अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उसने विभिन्न अभियोगों में एक ही खतौनी क्रमांक 156827, खाता संख्या 00341 एवं अन्य कूटरचित अभिलेखों का प्रयोग कर लगभग 07-08 अभियुक्तों की जमानत कराई। उसने यह भी स्वीकार किया कि जमानत प्रपत्रों में प्रयुक्त दस्तावेज वास्तविक तथ्यों के अनुरूप नहीं थे तथा उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत कर जमानत प्राप्त कराई गई। अभियुक्त द्वारा अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया गया कि उसने यह कार्य आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

1 .सतीश चन्द्र उर्फ सतीश लोधी पुत्र जगतपाल उम्र करीब 47 वर्ष निवासी ग्राम हसवा थाना थरियांव जनपद फतेहपुर ।**(H.S.NO-812)**

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 144/2009 धारा 382/394/411 भादवि थाना थरियांव, जनपद फतेहपुर।
2.मु0अ0सं0 227/12 धारा 110 जी गुण्डा एक्ट थाना थरियांव, जनपद फतेहपुर।
3.मु0अ0सं0 20/2005 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना थरियांव,जनपद फतेहपुर।
4.मु0अ0सं0 553/2010 धारा 25 Arms एक्ट थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर।
5. मु0अ0सं0 223/13 धारा 110 जी गुण्डा एक्ट थाना थरियांव, जनपद फतेहपुर।
6.मु0अ0सं0 189/2026 धारा 316/318(2)/227/323/338 बीएनएस थाना थरियांव, जनपद फतेहपुर। **(वर्तमान प्रकरण)**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.अपराध निरीक्षक श्री सुरजीत कुमार थाना थरियांव जनपद फतेहपुर
2.रिक्रूट कांस्टेबल राहुल यादव
3.रिक्रूट कांस्टेबल विपिन पटेल
4.हे0का0 पंकज त्रिपाठी
5.रिक्रूट महिला कांस्टेबल वर्तिका यादव